

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
- 3- नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक, समस्त जलकल विभाग, नगर निगम, उ०प्र०/ जल संस्थान, झाँसी, चित्रकूटधाम मण्डल, कर्वी-बांदा।
- 6- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2012

विषय: ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य स्थानीय नागर निकायों तथा इससे अधिक के कार्य सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम के माध्यम से कराया जाना।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1981/नौ-05-2005-70सा/04 दिनांक 20 जून, 2005 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-7092/नौ-5-2010-111बजट/2010, दिनांक 04.11.2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ₹ 50.00 लाख तक के ड्रेनेज के कार्य संबंधित स्थानीय नागर निकायों द्वारा कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.11.2010 में सम्यक् विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज के कार्य संबंधित स्थानीय नागर निकायों द्वारा तथा ₹ 5.00 लाख से अधिक लागत के ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः तदनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3- पेयजल तथा सीवरेज से संबंधित कार्यों के संबंध में शासनादेश संख्या-1981/नौ-5-2005-70सा/04 दिनांक 20.06.2005 में दी गई व्यवस्था यथावत् रहेगी।

भवदीय,



(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1341(1)/नौ-5-2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र०।
- 4- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र०।
- 5- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।